प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 104-व--5--2015 / 7190
चण्डीगढ़ दिनांक 23/4/2015

विषयः **Diversion of 0.016 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C.Ltd. along Saha-Shahbad road, km. 68-69, L/side at village Kesri, under forest division, and District, Ambala, Haryana. (D-III-6271).**

संदर्भ: सरकार का यादी कमांक 104--व--5 2015 / 7117 दिनांक 22.04.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा सदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू **0.016** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर प्रदान की जाती है।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पौधे काटे जायेंगे।
(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार शाह-शाहबाद रोड कि0मी0 57--58(0.032) पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 35,372.00 / -रु (पैंतिस हजार तीन सौ बहत्तर केवल) की राशि से 35 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-- हो जाना चाहिए।
(iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ--साथ उपयुक्त पौधारोप पट्टुव मध्य, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
(v) प्रदेश एवं निकास को छोड कर बाकी हिस्से पर कुछ बूटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।
(vi) पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा--निर्देशो का पालन अवश्य किया जायेगा।
(vii) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर किनार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेडो का वृक्षोरोपण किया जाये।
(viii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नही किया जायेगा।
(ix) Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी छब्ब की राशि बढाई जायेगी तो उस बढी हुई छब्ब की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।
(x) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।
(xi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।
(xii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आऊट प्लान को बदला नही जायेगा।
(xiii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
(xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण उपाय उपलब्ध किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दर पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिको तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करायेंगें ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xvii) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 उचे सीमेंट के खम्बो द्वारा चिहिन्त की जायेंगी।

(xviii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xix) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xx) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xxi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेनें राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

(xxii) ओ0एस0डी0 तदर्थ कैम्पा से राशि जमा होने की पुष्टि भी करवाई जाएगी।

3. राज्य सरकार इन स्वीकृति को स्थागित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही है।

23/4/15
विशेष सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24 25, सैक्टर 31–ए, चण्डीगढ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।